

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

लोहामण्डी योजना की
अवाप्ति से प्रभावित भूमि
के खातेदारों द्वारा प्रस्तुत
आवेदन का प्रारूप

आवेदक की फोटो

सेवा में,

श्रीमान उपायुक्त जोन-06,
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर ।

विषय : जविप्रा की योजना लोहामण्डी ग्राम माचडा तहसील आमेर की अवाप्ति से प्रभावित भूमि खसरा नम्बर
..... कुल किता क्षेत्रफल में से अवाप्त रकबा क्षेत्रफल
..... भूमि को निःशुल्क समर्पित करने के बदले विकसित भूखण्ड के आरक्षण पत्र/आवंटन पत्र जारी करने बाबत् ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी की जविप्रा योजना लोहामण्डी स्थित ग्राम माचडा तहसील आमेर की भूमि खसरा नम्बर
..... कुल किता क्षेत्रफल में से अवाप्त रकबा क्षेत्रफल भूमि योजना की अवाप्ति से प्रभावित थी । प्रार्थी/आवेदक उक्त भूमि को जविप्रा अधिनियम की धारा 44 एवं राज्य सरकार के आदेशों के तहत निःशुल्क समर्पित करना चाहता है, जिसके सम्बन्ध में इकरारनामा/समर्पणनामा पत्र, शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति अनुबन्ध पत्र नवीनतम जमाबन्दी व अन्य सम्यक् दस्तावेजों की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त अवाप्त भूमि समर्पण के बदले विकसित भूखण्ड के आरक्षण/आवंटन पत्र प्रार्थी/प्रार्थीगण के नाम से जारी कराने का श्रम करें ।

प्रार्थी

दिनांक

संलग्न :-

1. इकरारनामा/समर्पणनामा पत्र (500/- रू. के स्टाम्प पर)
2. शपथ पत्र (50/- रू. के स्टाम्प पर)
3. क्षतिपूर्ति अनुबन्ध पत्र (200/- रू. के स्टाम्प पर)
4. अन्डर टेकिंग (500/- रू. के स्टाम्प पर)
5. जमाबन्दी एवं नकल नक्शा ट्रेस की नवीनतम की प्रति
6. अपनी पहचान हेतु पहचान पत्र/ आधार कार्ड की प्रति
7. कय/विरासत के प्रकरण में सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रति ।

आवेदक की
फोटो

500/- का स्टाम्प पैपर

इकरारनामा/समर्पणनामा पत्र

मैं का हूँ (प्रथम पक्ष) जयपुर विकास प्राधिकरण (द्वितीय पक्ष) आज दिनांकको जयपुर विकास प्राधिकरण की ग्राम माचडा स्थित लोहामण्डी योजना हेतु आपसी समझौते के आधार पर अवाप्त भूमि प्राधिकरण को निःशुल्क समर्पित करने एवं नकद मुआवजे के बदले 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड प्राप्त करने हेतु आपस में निम्न प्रकार समझौता करता हूँ :-

- 1 जयपुर विकास प्राधिकरण (द्वितीय पक्ष) की लोहामण्डी योजना हेतु ग्राम माचडा तहसील आमेर की भूमि खसरा नम्बर अवाप्त रकबा हैक्टेयर भूमि के बदले जविप्रा अधिनियम की धारा 44 के अन्तर्गत आपसी समझौते के अनुसार अधिकतम 25 प्रतिशत विकसित भूमि दी जानी है, के अन्तर्गत द्वितीय पक्ष को राजस्व रिकार्ड के अनुसार उपरोक्त वर्णित स्वयं की खातेदारी की एवं कब्जाशुदा भूमि स्वेच्छा से समर्पित करता हूँ । प्रथम पक्ष उक्त भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष के हित में निःशुल्क समस्त भार से मुक्त निहित करने हेतु उपरोक्त भूमि समर्पित करता हूँ । भविष्य में प्रथम पक्ष का उक्त समर्पित भूमि पर कोई स्वामित्व/क्लेम नहीं रहेगा ।
- 2 मैं (प्रथम पक्ष) इस विषय में जविप्रा अधिनियम, 1982 की धारा 44 के अन्तर्गत किये गये आपसी समझौते के अनुसार के निर्देशों एवं शर्तों की पालना करूंगा ।
- 3 इकरारनामा के आधार पर समर्पित भूमि का विकसित भूखण्ड केवल उसी खातेदार को आवंटित किया जा सकेगा जिसकी भूमि अवाप्त की गई हैं। अन्य व्यक्तियों के नामों से भूखण्ड आवंटित नहीं किये जावेगे ।
- 4 द्वितीय पक्ष द्वारा आवंटित भूखण्डों की स्थिति प्रथम पक्ष द्वारा समर्पित की जाने वाली भूमि या उसके आस-पास योजना क्षेत्र में मानचित्र के अनुसार योजना क्षेत्र में होगी ।
- 5 मेरे द्वारा जविप्रा अधिनियम की धारा 44 के अन्तर्गत आपसी समझौते के समर्पित की जा रही भूमि के सम्बन्ध में मेरे द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय/राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ/खण्ड पीठ में रिट याचिका संख्या..... विचाराधीन है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किये गये हैं ।
- 6 यह है कि अवाप्त भूमि के नगद मुआवजे के स्थान पर 25 प्रतिशत विकसित भूमि प्राप्त करने के सम्बन्ध में मेरे द्वारा सहमति हेतु विकल्प पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है "उक्त विकल्प अनुसार विकसित भूमि दी जाती है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय/राजस्थान उच्च न्यायालय में लम्बित अवाप्ति को चुनौती दी जाने वाली (एकल पीठ/खण्ड पीठ) रिट याचिका/याचिकाए वापस (विद्धो) लेने के लिये अपनी सहमति प्रदान करता हूँ "

- 7 समर्पित की जा रही भूमि के प्रति प्रथम पक्ष द्वारा मुआवजे के रूप में कोई भुगतान प्राप्त नहीं किया गया है और ना ही इस भूमि के बाबत प्रथम पक्ष द्वारा विक्रय या विक्रय अनुबन्ध या रहननामा आदि सम्पादित किया हैं तथा द्वितीय पक्ष से प्राप्त विकसित भूखण्ड/आरक्षण पत्र के संबंध में भविष्य मे कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसके निपटारे के संबंध में समस्त जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी एवम प्रथम पक्ष को जारी विकसित भूमि का आवंटन पत्र/आरक्षण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।
- 8 प्रथम पक्षकार के मध्य समर्पित भूमि के बदले मे प्राप्त विकसित भूखण्डो के संबंध में यदि कोई आपसी विवाद भविष्य मे उत्पन्न होता है तो उसका निराकरण प्रथम पक्षकार स्वयं अपने स्तर पर करेगा । उपरोक्त वर्णित विवाद द्वितीय पक्षकार के अधिकारो को प्रभावित नहीं करुंगा।
- 9 उपरोक्त समर्पित की जाने वाली भूमि प्रथम पक्ष के निर्विवाद स्वत्व की है तथा प्रथम पक्ष द्वारा समर्पित की जाने वाली भूमि के उतने ही हिस्से को स्वामी है जिसके लिए प्रार्थी इकरारनामा प्रस्तुत कर रहे हैं । प्रथम पक्ष के उत्तराधिकारी/वारिसान के संबंध में यदि कोई वाद अथवा विवाद मुआवजे के रूप में प्राप्त होने के संबंध में उत्पन्न होगा तो उसका निपटारा प्रथम पक्ष स्वयं करुंगा।
- 10 उपरोक्त बिन्दु संख्या 01 से 07 में वर्णित तथ्य मिथ्या होने की स्थिति में द्वितीय पक्ष समझौते में निर्धारित दायित्व निष्पादित करने हेतु उत्तरदायी नहीं होगा ।

यह है कि उक्त इकरारनामे (अनुबन्ध) पत्र को क्रमांक 01 से 07 तक की सूचना मेरी निजी जानकारी के अनुसार पूर्ण सत्य हैं । इसमे मैने कोई भी तथ्य नहीं छुपाया है । अतः यह इकरारनामा मैने होश हवास व स्थिर बुद्धि व बिना किसी दबाव से स्वेच्छा से 500/- के स्टाम्प व सादा पेपर के रूबरू दो गवाहान लिख दिया है जो जरूरत पडे तो काम आवें

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)

उपायुक्त जोन

जयपुर विकास प्राधिकरण

दिनांक:

साक्षी

हस्ताक्षर

- 1 नाम
- पिता का नाम
- पता

हस्ताक्षर

- 2 नाम
- पिता का नाम
- पता

क्षतिपूर्ति अनुबन्ध पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
उम्र वर्ष निवासी का हूँ । यह है कि
ग्राम तहसील की भूमि खसरा नम्बरअवाप्त
रकबा हैक्टेयर हिस्सा, खसरा नम्बर
.....भूमि का खातेदार व्यक्ति हूँ ।

यह है कि जविप्रा की योजना लोहामण्डी हेतु उक्त भूमि की अवाप्ति विचाराधीन है इस संबंध में एक इकरारनामा/समर्पणनामा पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है जिसमें जविप्रा अधिनियम, 1982 की धारा 44 के अन्तर्गत किये गये आपसी समझौते के आधार पर संलग्न इकरारनामा/समर्पणनामा पत्र निष्पादित किया है। जिसके तहत मैं/हम अपनी भूमि जविप्रा जयपुर के पक्ष में समर्पित करता हूँ। मेरे द्वारा उपरोक्तानुसार समर्पित भूमि में स्वामित्व आदि के संबंध में यदि कोई विवाद पाया जाता है या उत्पन्न होता है तो उसका निराकरण जविप्रा के हितों को क्षति पहुंचाये बिना मैं स्वयं करने हेतु वचनबद्ध है। हमारे एवं जविप्रा के मध्य सम्पन्न समझौते के निष्पादन से यदि जविप्रा हितों को भविष्य में कोई क्षति विवादों से पहुँचती है तो उसकी क्षतिपूर्ति हेतु मैं वचनबद्ध हूँ।

हस्ताक्षरकर्ता (क्षतिपूर्ति अनुबन्धकर्ता)

नाम :

पिता का नाम :

पता :

दिनांक :

स्थान :

शपथ पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री उम्र
 वर्ष निवासी का हूँ । यह है कि ग्राम
 तहसील की भूमि खसरा नम्बर अवाप्त रकबा हैक्टियर हिस्सा
 खसरा नम्बर भूमि का
 खातेदार व्यक्ति हूँ ।

यह है कि जविप्रा की लोहामण्डी योजना हेतु अवाप्त भूमि का
 इकरारनामा/समर्पणनामा/क्षतिपूर्ति बंध पत्र भी प्रस्तुत कर दिया गया है ।

मेरे हिस्से के उपरोक्त वर्णित भूमि के संबंध में निम्न प्रकार शपथ पूर्वक घोषणा करता
 हूँ कि :-

1. मेरे द्वारा जविप्रा अधिनियम की धारा 44 के अन्तर्गत आपसी समझौते के समर्पित की जा रही भूमि के सम्बन्ध में मेरे द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय/राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ/खण्ड पीठ में रिट याचिका संख्या..... विचाराधीन है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किये गये हैं ।
2. यह है कि अवाप्त भूमि के नगद मुआवजे के स्थान पर 25 प्रतिशत विकसित भूमि प्राप्त करने के सम्बन्ध में मेरे द्वारा सहमति हेतु विकल्प पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है कि उक्त विकल्प अनुसार (यथा सम्भव) विकसित भूमि दी जाती है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय में लम्बित अवाप्ति को चुनौती दी जाने वाली (एकल पीठ/खण्ड पीठ) रिट याचिका/याचिकाएँ वापस (विद्धो) लेने के लिये अपनी सहमति प्रदान करता हूँ ।
3. समर्पित की जा रही भूमि के संबंध में शपथकर्ता द्वारा मुआवजे की राशि का कोई भुगतान प्राप्त नहीं किया गया है, ना ही समर्पित भूमि कही रहन रखी गई हैं ना ही पूर्व में किसी प्रकार से विक्रय/हस्तांतरित की गयी हैं ।
4. यह है कि शपथकर्ता समर्पित की जाने वाली भूमि के उतने हिस्से का ही एक मात्र स्वामी व वैध कब्जेधारी है जो इकरारनामा/समर्पणनामा/क्षतिपूर्ति बंध पत्र में वर्णित है जिसका शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ ।
5. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा निष्पादित इकरारनामा/घोषणा पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही हैं । इसकी मैं व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता हूँ । मैंने कोई तथ्य नहीं छुपाया है । इस संबंध में आज से पूर्व या पश्चात यदि कोई उज्र/विवाद होगा तो उसका निपटारा भी शपथकर्ता द्वारा अपने हर्जे खर्चे पर कराया जावेगा ।
6. उपरोक्त शर्त संख्या 1 से 3 तक सूचना मिथ्या होने की स्थिति में जयपुर विकास प्राधिकरण इकरारनामा/घोषणा पत्र में निर्धारित दायित्व निष्पादित करने हेतु उत्तरदायी नहीं होगा एवं मेरा दावा स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा ।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

यह है कि उक्त शपथ पत्र के स्तम्भ 1 से 6 तक की सूचना मेरी निजी जानकारी के अनुसार पूर्ण सत्य हैं, इसमें मैंने कोई भी तथ्य नहीं छुपाया है । ईश्वर साक्षी है ।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

अण्डरटेकिंग

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री उम्र
 वर्ष निवासी का हूँ । यह है कि ग्राम
 तहसील की भूमि खसरा नम्बर अवाप्त रकबा हैक्टियर हिस्सा
 खसरा नम्बर भूमि का
 खातेदार व्यक्ति हूँ । मैं निम्नानुसार अण्डरटेकिंग देता हूँ कि:-

- 1 यह है कि ग्राम माचडा तहसील आमेर आराजी खसरा नम्बर
 कुल किता कुल क्षेत्रफल में से क्षेत्रफल
 जविप्रा की योजना लोहामण्डी की अवाप्ति से प्रभावित है। मैं उक्त भूमि का
 खातेदार/हितधारी/मूल खातेदार की मृत्यु के बाद वारिस/क्रेता/अन्तिम क्रेता हूँ।
- 2 यह है कि मेरे द्वारा उक्त अवाप्ति से प्रभावित भूमि का नगद मुआवजा ना चाहकर
 मुआवजे स्वरूप 25 प्रतिशत विकसित भूमि (20 प्रतिशत आवासीय + 05 प्रतिशत
 व्यावसायिक) आवंटन करने हेतु जविप्रा को आवेदन प्रस्तुत किया है।
- 3 यह है कि उक्त अवाप्ति से प्रभावित भूमि का मेरे द्वारा अब तक नगद मुआवजा प्राप्त
 नहीं किया है।
- 4 यह है कि अवाप्त/अर्जित भूमि के स्वामित्व या हक के बारे में भविष्य में कोई विवाद
 पैदा होता है या किसी तृतीय पक्ष के अधिकार उत्पन्न होते हैं, जिससे जविप्रा को कोई
 भी हानि होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी तथा जयपुर विकास प्राधिकरण
 को मुआवते स्वरूप आवंटित की गई भूमि की लीजडीड निरस्त कर उपरोक्त भूमि का
 कब्जा वापस प्राप्त करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा।
- 5 यह है कि यदि उक्त अवाप्ति का नगद मुआवजा न्यायालय में जमा है तो उसे वापस
 जविप्रा को प्राप्त करने का अधिकार होगा। उक्त कार्यवाही में मेरी कही भी लिखित
 अथवा मौजूदगी की आवश्यकता होगी तो जविप्रा से सूचना मिलने पर उपस्थित हो
 जाऊंगा।
- 6 यह है कि यह अण्डरटेकिंग जविप्रा की योजना लोहामण्डी की अवाप्ति से प्रभावित भूमि
 स्थित ग्राम माचडा तहसील आमेर आराजी खसरा नम्बर
 .कुल किता कुल क्षेत्रफल में से क्षेत्रफल का नगद
 मुआवजे के स्थान पर मुआवजे स्वरूप 25 प्रतिशत विकसित भूमि (20 प्रतिशत आवासीय
 + 05 प्रतिशत व्यावसायिक) चाहने के समर्थन में प्रस्तुत है।

हस्ताक्षर